<u>न्यायालयः—भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना पाढुर्णा,

.....अभियोजन

विरूद्ध

अकरम शाह पिता जुम्मन शाह उम्र 30 वर्ष,
निवासी— तिलक वार्ड पांढुर्णा,
थाना पाढुर्णा, जिला छिंदवाडा .....अभियुक्त

<u>//अपराध विवरण//</u>
<u>(आज दिनांक 14.10.2022 को विरचित)</u>

मैं, **भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा,** आप अभियुक्त **अकरम शाह पिता जुम्मन शाह उम्र 30 वर्ष, निवासी— तिलक वार्ड पांढुर्णा, थाना पाढुर्णा** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं किः—

आपने दिनांक 13.10.2022 को समय 19:45 बजे, गुजरी चौक, पाढुर्णा पर पर्चा/वरली मटका/अंकों/चिन्हों/निशानों द्वारा रूपये की हारजीत का दांव लगाकर जुए की जानकारी को प्रसारित किया ?

ऐसा कर आपने **सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा—4क** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है और मैं निर्देशित करता हूँ कि आपके विरूद्ध उपरोक्त आरोपित अपराध पर विचारण किया जावे।

क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या विचारण चाहते हैं।

सही/—
(भूपेन्द्र आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा

<u>—:अभियुक्त का अभिवाकः—</u>

अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर उसका अभिवाक् उसी के शब्दों में है, कि —

सही/—
(भूपेन्द्र आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा

//निर्णय//

(आज दिनांक **14.10.2022** को घोषित)

01. अभियुक्त को सार्वजनिक धूत क्रीड़ा अधिनियम 1867 की धारा 4क के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के विवरण पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना स्वेच्छा स्वीकार किया है।

02. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वह दिनांक 13.10.2022 को समय 19:45 बजे, गुजरी चौक, पाढुर्णा पर पर्चा/वरली मटका/अंकों/चिन्हों/निशानों द्वारा रूपये की हारजीत का दांव लगाकर जुए की जानकारी को प्रसारित की, इसलिए आपको सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा–4क के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

03. जहां तक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 व 6 के लाभ का प्रश्न है ? तो सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा–4क के अधीन बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा और अभियुक्त दंड पाने के दायित्वधीन है।

04. अपराध की प्रकृति, अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति तथा अभियुक्त की आर्थिक स्थिति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायहित को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः अभियुक्त **अकरम शाह पिता जुम्मन शाह उम्र 30 वर्ष, निवासी–तिलक वार्ड पांढुर्णा, थाना पाढुर्णा** को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा–4क के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर 1000/–रूपये (एक हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

05. प्रकरण में जप्तशुदा एक सट्टा पटटी, एक डाट पेन, एक कार्बन का टुकडा अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे एवं फड़ से जप्त धनराशि 520/– रूपये राजसात की जाती हैं। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

06. अभियुक्त के द्वारा अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान कोई भी अवधि निरोध में व्यतीत नहीं की गयी है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित, किया गया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
सही/– (भूपेन्द्र आर्य) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा	सही/– (भूपेन्द्र आर्य) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा